



पत्रांक २८ / ७सी०
सेवा में,

अल्मोड़ा दिनांक ६० जनवरी 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय: जनपद अल्मोड़ा में खूँट काकड़ीघाट मोटर मार्ग से ठाठ ग्राम तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.983 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के संबंध में। (प्रस्ताव संख्या **FP/UK/ROAD/15503/2015**)।

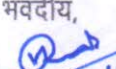
संदर्भ: आपका पत्र सं० मैमो/12-1(2) दिनांक 07.11.2019
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सूचित की गयी आपत्तियों का निराकरण इस कार्यालय के पत्र सं० 1525/7सी० दिनांक 25 अगस्त 2020 से मय संलग्नको सहित आपको प्रेषित किया जा चुका है। बिन्दु सं० 2 के क्रम में आपका पत्र संख्या 1813/12-1(2) दिनांक 26.09.2020 से प्राप्त निर्देशों के अनुसार आरक्षित भूमि का लैण्ड शेड्यूल तैयार कर अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु सं० 51 में अपलोड कर लिया गया है।

आपत्ति	निराकरण
1-In reply to para 01, no comments made by the State Government as the proposal has already been closed on 25.09.2017	बिन्दु सं० 1 के अनुपालन में मार्गदर्शी पैरा 1.20 के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। कृपया मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव को पुर्नजीवित करने की कृपा करें।
2. In reply to point No. 01, CA site suitability certificate, aerial distance certificate Part-IV, Part V, SOI toposheet and digital map of CA area still not submitted in original. Land schedule and Muck Disposal Plan are not countersigned by DFO.	उपरोक्त मोटर मार्ग हेतु 0.983 है० वन भूमि प्रस्तावित की गयी है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना लागू नहीं है। मार्ग में आरक्षित वन भूमि प्रभावित नहीं होती है, आरक्षित भूमि के लैण्ड शेड्यूल का प्रपत्र अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु सं० 51 में अपलोड कर लिया गया है। मलवा निस्तारण प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से हस्ताक्षरित है।
3.In reply to point No. 02, justification submitted by State Government is not satisfactory as the villages are seems to be already connected and the proposal seems for another connectivity. State Government may submit the clarification in this regard.	उक्त मार्ग से ठाठ ग्राम संयोजित किया जाना है जो मुख्य मार्ग से 1000 मीटर दूरी पर स्थित है। जिस हेतु मार्ग की नितान्त आवश्यकता है।
4.प्रस्तावित मार्ग की KML file गलत प्रतीत होती है। अतः राज्य सरकार लामान्वित होने वाले ग्रामों की स्थिति प्रस्तावित मार्ग की सही KML file पर अंकित कर ऑनलाईन पैरा C(ii) (b) पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।	मार्ग की KML file सही कर पार्ट 1 के सेक्शन KML file पर अपलोड कर लिया गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में स्वीकृति हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,


अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।